न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 87 / 2025	2025 / 380	03.11.2025	09.03.2026

1. राधा पत्नी स्व० कोठारी, जाति जाट, निवासी ढाकपुरी, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज0।

——प्रार्थीया

बनाम

1. नेमी पुत्र चन्दर, जाति जाट,
2. श्रीपाल पुत्र स्व. श्री मनोहरी पुत्र चन्दर जाति जाट,
3. मुकेश पुत्र स्व. श्री मनोहरी पुत्र चन्दर जाति जाट,
4. फूलसिंह पुत्र स्व. श्री मनोहरी, पुत्र चन्दर, जाति जाट,
   निवासियान ग्राम ढाकपुरी, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)

—अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—
01—श्री योगेन्द्र सिंह चौधरी —वकील प्रार्थी
02—श्री प्रदीप जैन —वकील अप्रार्थी

—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गालाखेडा के प्रकरण बउनवान राधा बनाम नेमी वगैहरा मु.सं. 15 / 87 / 2025 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण नेमी वगैरा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीया राधा वगैरा के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पर दायर किया गया है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा के यहाँ विचाराधीन है। समस्त अप्रार्थीण लडाका एवं खूंखार शख्स है जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो प्रार्थीया को प्रार्थना—पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आड में काश्त करने नहीं देते व तंग व परेशान करते हैं। प्रार्थीया ने अप्रार्थीण को कई बार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुए देखा है और अप्रार्थीगण एलानिया कहते हैं कि उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के यहां चल रहे प्रार्थना—पत्र में हमारे पक्ष में निर्णय होगा। यह बात दिनांक 14.10.2025 को एलानिया कही है जिससे प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना—पत्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है और प्रार्थीया को यह भय है कि उपखण्ड अधिकारी प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णय करके रहेगा। उक्त प्रकरण में छोटी—छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है तथा अन्य प्रकरणों से अलग रखा जाकर सुनवाई की जा रही है। इसलिए प्रार्थना—पत्र मुन्तकिल मुकदमा श्रीमान् की सेवा में बिना देरी के प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल मुकदमा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा में विचाराधीन मुकदमा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

बअनुवान नेमी वगैरा बनाम राधा वगैरा प्रार्थना–पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वास्ते सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा फरमायी जावे।

अप्रार्थी वकील 01 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि मिन अप्रार्थीगण लडाका एवं खूंखार शख्स नहीं है और ना ही कोई गिराह बना रखा है। यह कहना गलत है कि प्रार्थीया को प्रार्थना–पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आड में काश्त नही करने देते हैं व तंग व परेशान करते हैं। जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की आराजी में पूर्व से ही कच्चा पक्का मार्ग है, जिस मार्ग से ही मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवगमन करते है। लेकिन प्रार्थीया के मन में बदयनियती आ गई है और वह रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है। जिस कारण उक्त पक्का पक्का मार्ग को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। मिन अप्रार्थीगण कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुए देखने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीया को कोई धमकी नहीं दी है और ना ही यह कहा कि हमारे पक्ष में निर्णय होगा। दिनांक 14.10.2025 की कहानी मनगढन्त महज अदालत श्रीमान को गुमराह करने की नियत से दर्ज की गई है। यह भी गलत है कि प्रार्थीया को पीठसीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही हो। प्रार्थीया द्वारा कयासीया तौर पर दर्ज किया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णय करके रहेगें। बल्कि सही तथ्य यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की मंशा से झूठी, मनगढन्त कहानी बना कर प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो काबिल खारिज है। उक्त प्रकरण में कोई छोटी तारीख नही दी जा रही है और न ही अन्य प्रकरणों से अलग रख कर कोई सुनवाई नही की जा रही है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया मय हर्जा और खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत है। पीठसीन अधिकारी किसी भी पक्षकार के साज बाज नहीं है। निराधार आक्षेप लगाये गये है। उक्त प्रकरण में विधि अनुरूप बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जा रही है। सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं कोर्ट मैन्यूअल के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। फिर भी उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)